न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–435/2026

(भैरवस्थान थाना कांड संख्या–52/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम चंदन यादव

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
15.05.2026	आवेदक अभियुक्त **चंदन यादव**, उम्र–27 वर्ष, पिता–धर्मदेव यादव, सा0–राजाखारवार, थाना–सकतपुर, जिला–दरभंगा की ओर से भैरवस्थान थाना कांड संख्या–52/2026 (अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 05.05.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार मालाकार द्वारा आज प्रचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है तथा उनका इस कांड के अलावे अन्य बारह आपराधिक इतिहास (सकतपुर थाना कांड सं0–41/2019, 78/2023, 43/2025, 132/2025, अलीनगर थाना कांड सं0–92/2023, कुशेश्वर थाना कांड सं0–111/2021, 125/2021, 112/2021, मधेपुर थाना कांड सं0–168/2020, लखनौर थाना कांड सं0–111/2021, लखनौर आर0एस0 ओ0पी0 थाना कांड सं0–198/2019, घनश्यामपुर थाना कांड सं0–92/2019) है जिनमें से तीन कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। आवेदक को इस वाद में गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता का फरार होने एवं साक्ष्य से छेड़छाड़ किये जाने की कोई संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से पुलिस बल को देखकर भागने मे सफल रहे थे एवं घटनास्थल से जप्त टैंकर से विभिन्न ब्रांड का कुल 1733.76 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। याचिककर्ता का इस कांड के अलावे बारह अन्य आपराधिक इतिहास है। वाद अनुसंधानरत है तथा बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा 274, 275, 3(5) एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा–30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 25.03.2026 को समय करीब 23:30 बजे इस कांड के सूचक को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि चन्दन यादव (आवेदक) एवं सूरज कामती उर्फ भूतनाथ एक पेट्रोलियम टैंकर निबंधन सं0–बीआर09एच4735 में शराब लोड कर भैरवस्थान होते हुए एन0एच0 27 विदेश्वर कट के तरफ से उजान के	
लगातार...		

उपस्थिता–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–435/2026
(भैरवस्थान थाना कांड संख्या–52/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम चंदन यादव

15.05.2026	तरफ जाने वाले है। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल एन0एच0 27 विदेश्वर कट पहुंचे तथा सूचना मे बताए वाहन पर निगरानी रख रहे थे तभी कुछ देर बाद सूचना मे बताया गया उक्त पेट्रोलियम टैंकर तेजी से विदेश्वर कट के तरफ मुड़कर उजान के तरफ जाते दिखा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर टैंकर को अभिरक्षा मे लिया गया परन्तु उसमें बैठे दो व्यक्ति कूदकर अँधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। तत्पश्च्यात पकड़ाये लाल–ब्लू–उजला रंग के 06 चक्का पेट्रोलियम टैंकर निबंधन सं0–बीआर09एच4735 का तलाशी लिया गया तो टैंकर के केबिन और टैंक लोरी में बने दो खाचा से विभिन्न ब्रांड का कुल 1733.76 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 38 एवं आवेदक के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे बारह अन्य आपराधिक इतिहास (सकतपुर थाना कांड सं0–41/2019, 78/2023, 43/2025, 132/2025, अलीनगर थाना कांड सं0–92/2023, कुशेश्वर थाना कांड सं0–111/2021, 125/2021, 112/2021, मधेपुर थाना कांड सं0–168/2020, लखनौर थाना कांड सं0–111/2021, लखनौर आर0एस0 ओ0पी0 थाना कांड सं0–198/2019, घनश्यामपुर थाना कांड सं0–92/2019) है जिनमें से तीन कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 02, 03, 04, 05 एवं 07 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किये तथा घटनास्थल से भारी मात्रा में शराब के बरामदगी की पुष्टि कि गई है, जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के इस कांड मे एवं शराब के भंडारण एवं कारोबार मे संलिप्तता प्रतीत होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम, आवेदक के आपराधिक इतिहास तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **चंदन यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 15.06.25 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थिता–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner